



भारत 2023 INDIA

वयुधेव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

परिपत्र सं.आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/ईओएम/84/4/2023
Cir No. IRDAI/F&I/CIR/EOM/84/4/2023

दिनांक: 05 अप्रैल 2023
Date: 05th April 2023.

परिपत्र
CIRCULAR

विषय: आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023 - स्पष्टीकरण।

Reg.: IRDAI (Expenses of Management of insurers transacting Life Insurance business) Regulations 2023 - Clarifications.

1. उपर्युक्त विनियमों के विनियम 19 के अंतर्गत निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:
The following clarification is issued under Regulation 19 of the said Regulations:

**विनियम 10 की अनुसूची-I के भाग क की क्रम सं. 1(ii)(क)
Sl.No.1(ii)(a) of Part A of Schedule I of Regulation 10**

- i) पाठ "प्रथम वर्ष नियमित प्रीमियम" को "10 वर्ष और उससे अधिक प्रीमियम भुगतान अवधि से युक्त पालिसियों के संबंध में" के रूप में पढ़ा जाएगा।
i) The text "First year Regular Premium" shall be read as "In respect of policies with premium payment term 10 years and above".

**विनियम 10 की अनुसूची-I के भाग क की क्रम सं. 11(i)
Sl.No.11(i) of Part A of Schedule - I of Regulation 10**

- ii) विनियम के भाग-II के 4(10) पर उल्लिखित प्रबंधन के अनुमतियोग्य व्ययों का % (एक प्रतिशत का पचासवाँ भाग) प्रचलित है। इस प्रकार, 0.05 को 0.02 के रूप में पढ़ा जाएगा।
ii) The % (one-fiftieth of one percent) of allowable expenses of management mentioned at 4(10) of Part - II of the regulation prevails. Thus, 0.05 shall be read as 0.02.

2. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।
This has the approval of the competent Authority.

(अम्मु वेंकटरमणा / Ammu Venkata Ramana)
महाप्रबंधक (वित्त व निवेश) / General Manager (F&I)